

प्रेस-विज्ञप्तिथाना सिधारी**100 ली० अपमिश्रित शराब, 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौसादर व टेम्पू (आटो रिक्शा ) के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अवैध गांजा/शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर श्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ०नि० हरिश्चन्द्र प्रसाद मय हमारह द्वारा देखभाल क्षेत्र चैकिंग में बैठौली तिराहा पर मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति एक टेम्पू में अपमिश्रित शराब ड्रम में लेकर शाहगढ़ की तरफ से आजमगढ़ की तरफ किसी को बेचने जा रहा है। यह आपराधिक किस्म का है, घुम फिरकर अपमिश्रित शराब बेचता है तथा स्वयं शराब तैयार करता है, मुखबीर की बात का विश्वास करके मुखबीर को साथ लेकर आने जाने वाले व्यक्ति का इंतजार किया जाने लगा कि थोड़ी देर बाद एक टेम्पू आता हुआ दिखायी दिया कि मुखबीर ने आता हुआ टेम्पू की तरफ इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस वाले एक बारगी सड़क पर आकर टेम्पू को रोकने का इशारा किया गया तो टेम्पू चालक पुलिस वालों को देखकर टेम्पू को मोड़कर भागना चाहा कि टेम्पू को घेर दौड़कर बिना भागे मौका दिये पकड़ लिया गया, टेम्पू चालक के सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम नन्दा उर्फ नन्दलाल यादव s/o शंकर यादव सा० पैकौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने परिवार के जीवकोपार्जन के लिए अपमिश्रित शराब तैयार कर इसमें यूरिया नौसादर मिला देता हूँ जिससे अपमिश्रित शराब अधिक तीव्र हो जाती है जिससे बिक्री ज्यादा होती है। शराब इसी टेम्पू में लिया हूँ। टेम्पू से निकाल कर एक ड्रम दिया, जिसका ढक्कन खोल कर सूँघा गया तो शराब की तीव्र गन्ध आ रही है। पकड़े गये व्यक्ति का जामा तलाशी लिया तो यूरिया व पालीथीन लिपटा नौसादर मिला, टेम्पू, एक ड्रम बरामद 100 ली० अपमिश्रित शराब बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति को समय 11.30 बजे दिनांक 18.06.2021 बैठौली तिराहा से गिरफ्तार कर, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-** 1. नन्दा उर्फ नन्दलाल यादव s/o शंकर यादव सा० पैकौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने बताया कि मैं अपने परिवार के जीवकोपार्जन के लिए अपमिश्रित शराब तैयार कर इसमें यूरिया नौसादर मिला देता हूँ जिससे अपमिश्रित शराब अधिक तीव्र हो जाती है जिससे बिक्री ज्यादा होती है।

**पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या**

मु०अ०स० 136/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास**

1- मु०अ०स० 232/2017 धारा 60 आबकारी अधि० व 272/273 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

2- मु०अ०स० 329/2017 धारा 60 आबकारी अधि० थाना सिधारी आजमगढ़

3- मु०अ०स० 152/2018 धारा 3(1) यू०पी० गैगैस्टर एक्ट

4- नील/2021 धारा 110(ए) सीआरपीसी थाना सिधारी आजमगढ़

**बरामदगी**

1- 100 ली० अपमिश्रित शराब

3- 100 ग्राम नौसादर

2- 200 ग्राम यूरिया

4- एक अदद टेम्पू (आटो रिक्शा )

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1- नन्दा उर्फ नन्दलाल यादव s/o शंकर यादव सा० पैकौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. प्र०नि० धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़

2. उ०नि० हरिश्चन्द्र प्रसाद थाना सिधारी आजमगढ़

3. हे०का० अवधेश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

4. का० शिवशंकर सोनी थाना सिधारी आजमगढ़

5. का० अरविन्द यादव थाना सिधारी आजमगढ़

6. का० अभिमीत तिवारी थान सिधारी आजमगढ़